



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243803
CG-DL-E-23022023-243803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 795]
No. 795]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली 22 फरवरी, 2023

का.आ. 828(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या - का.आ. 1570(अ), दिनांक 13 दिसंबर 2021, एवं अधिसूचना संख्या - का.आ. 422 (अ), दिनांक 25 जनवरी 2023, जो भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, में राज्य सरकार के आग्रह पर एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

अधिसूचना संख्या - का.आ. 5170(अ) के अनुसूची के स्तम्भ 2, क्रमांक (1) पर उल्लिखित तहसीलदार को मुख्य-राजस्व अधिकारी, देवरिया एवं अधिसूचना संख्या - का.आ. 422(अ) के अनुसूची के स्तम्भ 2, क्रमांक (1) पर उप-भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देवरिया को मुख्य-राजस्व अधिकारी, देवरिया के द्वारा सक्षम अधिकारी, के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।

पाद टिप्पणी:- मूल अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) का. आ. 5170(अ), दिनांक 13 दिसंबर 2021, एवं अधिसूचना संख्या - का. आ. 422 (अ), दिनांक 25 जनवरी 2023, के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-227A/2021-22]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 22nd February, 2023

S.O. 828(E).—In exercise of the powers conferred by Clause(a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, Upon request of State Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.5170 (E) dated the 13th December, 2021 and S.O.422 (E) dated the 25th January, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii):

In the Schedule of the notification number S.O.5170 (E), mentioned under Column-2, Serial No. (1), Tahsildar is being replaced by the Chief Revenue Officer, Deoria and in the notification number S.O.422 (E), under Column-2, Serial No. (1), Deputy Land Acquisition officer, Deoria is being replaced by the Chief Revenue Officer, Deoria, as Competent Authority for Land Acquisition.

Foot Note: The Principal notification was published vide number S.O.5170 (E) dated the 13th December, 2021 and S.O.422 (E) dated the 25th January, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii).

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-227A/2021-22]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.